nt>

12.09 hrs

Title: Shri Prabhunth singh called the attention of the Deputy Prime Minister to the need for inclusion of Bhojpuri language in the Eighth Schedule of the Constitution.

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : महोदय, मैं गृह राज्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न लिखित विाय की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वे इस संबंध में वक्तव्य दें -

"भोजपुर भााा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की आवश्यकता के बारे उठाए गए कदम। "

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI I.D. SWAMI): The Eighth Schedule to the Constitution of India contains 18 languages (of these, 14 languages were included in the Eighth Schedule by the Constituent Assembly itself. These were Assamese, Bengali, Kannada, Gujarati, Hindi, Kashmiri, Malayalam, Marathi, Oriya, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu and Urdu, Sindhi was included in the Eighth Scheduled in 1967 as the 15th language. Three more language − Konkani, Manipuri and Nepali were included in the Eighth Schedule in 1992. The languages included in the Eighth Schedule account for languages used by 96.20 per cent of the country's population, as brought out by the 1991 Census.

The Government has been receiving requests for inclusion of additional languages in the Eighth Schedule. At present, there are requests for inclusion of as many as 32 languages including Bhojpuri in the Eighth Schedule pending with the Government.

Reference to the Eighth Schedule occurs in articles 344 (1) and 351 of the Constitution. Article 344(1) provides for the constitution of a Commission by the President on expiration of five years from the commencement of the Constitution and thereafter at the expiration of ten years from such commencement, which shall consist of a Chairman and such other members representing the different languages specified in the Eighth Schedule to make recommendations to the President for the progressive use of Hindi for official purposes of the Union. Article 351 of the Constitution provides that it shall be the duty of the Union to promote the spread of the Hindi language to develop it so that it may serve as a medium of expression for all the elements of the composite culture of India and to secure its enrichment by assimilating without interfering with its genius, the forms, style and expressions used in Hindustani and in the other languages of India specified in the Eighth Schedule, and by drawing, wherever necessary or desirable, for its vocabulary, primarily, on Sanskrit and secondarily on other languages. From this article, it would appear that the Eighth Schedule was intended to promote the progressive use of Hindi and for the enrichment and promotion of that language. However, it seems that over the years, the popular perception relating to the Eighth Schedule has changed and inclusion in it of a language is viewed by many as the symbol of a higher status accorded to that language.

In the absence of any objective criteria for inclusion of languages in the Eighth Schedule, a decision was taken by the Government to set up a Committee under the Chairmanship of Secretary, Official Language. The Committee examined various aspects and submitted its report in 1998. This Committee, *inter alia,* recommended setting up of a High Powered Body having access to knowledge of experts from the literary, academic, social and legal fields to go in greater depth to evolve objective criteria for considering inclusion of a language in the Eighth Schedule. This body could interact with representative organisations of different languages to be able to form a concrete opinion about the criteria to be so evolved.

Considering the significance of the issue, the Government decided to appoint a High Powered Body to evolve a set of objective criteria for inclusion of more languages in the Eighth Schedule. The constitution of such a body is presently under consideration of the Government. The requests received in the Government for inclusion of 32 languages including Bhojpuri would be considered on the basis of such objective criteria evolved by the High Powered Body.

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस पर क्लेरीफिकेशन पूछ सकते हैं।

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग भोजपुरी इलाके से आते हैं, इसलिए हमें भी इस पर बोलने का मौका दिया जाए।â€¦ (व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष जी, हम भोजपुरी, संस्कृति, भोजपुरी सभ्यता और उसकी समृद्धि के विाय में सरकार को अवगत कराना चाहते हैं। हम सरकार को यह बताना चाहते हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश को मिला कर लगभग 19 जिलों में भोजपुरी भााा बोलने वाले लोग हैं। इतना ही नहीं दिल्ली में यह देखा गया है कि लगभग साढ़े सात लाख, महाराट्र, बंगाल, असम और गुजरात में इस भााा को बोलने वालों की संख्या सात से लेकर दस लाख के बीच में है। ये काफी तादाद में हैं। इस भााा की पढ़ाई उत्तर प्रदेश और बिहार के महाविद्यालयों में होती है।

महोदय, हम आपकी जानकारी के लिए बताना चाहते हैं कि बिहार के भोजपुरी भाषी जिलों के सभी इंटर कॉलेजों में इंटर स्तर पर एक विाय के रूप में पढ़ाई होती है,

जिसकी मान्यता बिहार इंटरमीडिएट कौंसिल से प्राप्त है। बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय में बी.ए. ऑनर्स तक भोजपुरी की पढ़ाई होती है। वीर कुंअर सिंह विश्वविद्यालय, आरा (बिहार) में भोजपुरी की पढ़ाई एम.ए. तक होती है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर एवं जौनपुर विश्वविद्यालय में भोजपुरी भााा की एम.ए. स्तर पर एक पेपर के रूप में मान्यता प्राप्त है। साहित्य की हर विधाओं में भोजपुरी भााा की पर्याप्त प्रकाशित पुस्तकें उपलब्ध हैं।

बिहार में भोजपुरी एकेडमी वर्ाों से स्थापित है। दिल्ली सरकार भोजपुरी-मैथली एकेडमी की स्थापना की स्वीकृति प्रदान कर चुकी है। साहित्य एकेडमी ने भी इस र्वा से भोजपुरी भााा सम्मान देना प्रारम्भ कर दिया है। देश-विदेश में लगभग 50 से ज्यादा पत्र एवं पत्रिकाएं भोजपुरी भााा में प्रकाशित होती हैं। भोजपुरी नाट्य के क्षेत्र में पद्मश्री भीखारी ठाकुर जिनकी तुलना ग्रिअरसन ने शेक्सपीयर से की है, उनके द्वारा स्थापित विदेशिया भोजपुरी नाट्य शैली की पढ़ाई राट्रीय नाट्य विद्यालय में होती है। हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, बंगला आदि भााओं की चर्चित पुस्तकों और यहां तक कि रामायण का अनुवाद भी भोजपुरी भााा में हुआ है और हो रहा है। देश में लगभग 350 पंजीकृत संस्थाएं भोजपुरी भााा के उत्थान हेतु कार्यरत हैं। अंतर्राट्रीय स्तर पर विश्व भोजपुरी सम्मेलन नाम से एक मजबूत संगठन है जो अंतर्राट्रीय सम्मेलनों एवं विचार गोठियों का आयोजन देश के अंदर और बाहर करता है। भारत में लगभग 16 करोड़ की जनसंख्या द्वारा भोजपुरी भााा बोली जाती है। पूरे विश्व में लगभग 20 करोड़ से भी ज्यादा लोगों द्वारा भोजपुरी भााा बोली जाती है। पटना, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, रांची, दरभंगा, मुजफ्फरपुर आदि दूरदर्शन और आकाश वाणी केन्द्रों से भोजपुरी भााा के कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं। सैंकड़ों भोजपुरी फिल्में, दूरदर्शन धारावाहिक एवं हजारों आडियो, वीडियो एवं सीडी भोजपुरी भााा में बन चुके हैं। हिंदी फिल्में, दूरदर्शन एवं विभिन्न चैनलों के लिए बनने वाले धारावाहिकों में आज भोजपुरी भााा का दबदबा देश जानता है। टेलीफोन पर और कम्प्यूटर पर भी भोजपुरी इलाकों में भोजपुरी भााा ही बोली जाती है। भारत के अलावा विश्व के अन्य देशों जैसे मॉरिसस, सूरीनाम, ट्रीनीडॉड, फिजि, ब्रिटिश, गुयाना, हॉलैंड, नेपाल, दक्षिण अमेरिका के कुछ छोटे-छोटे देश, वैस्ट-इंडीज आदि देशों में 40 से 60 प्रतिशत तक आबादी भोजपुरी भााा बोलती है। मॉरिसस में भोजपुरी भााा को दूसरी भााा के रूप में मान्यता प्राप्त है।

उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी जो कमीशन बनाने की बात कर रहे थे तो किन-किन मानदंडों पर कमीशन विचार करेगा? क्या आबादी के आधार पर, भााा की समृद्धि के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर या भोगौलिक पृठभूमि के आधार पर विचार करेगा। उसमें सरकार क्या-क्या शामिल करना चाहेगी। हम जानना चाहते हैं कि कमीशन किन-किन बिंदुओं पर विचार करेगा?

MR. DEPUTY-SPEAKER: I would allow Shri Basu Deb Acharia and Shri Raghunath Jha. Now, Shri Basu Deb Acharia would speak. You have to ask a specific question.

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Sir, as regards Santhali and Bhojpuri languages, there is a long standing demand for recognition of Santhali language...(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I would have given opportunity to all of you. But the rules do not permit me to allow you. As a special case, hon. Speaker has allowed only these two.

SHRI BASU DEB ACHARIA : This language is spoken by more than one crore people belonging to Jharkhand, Orissa, West Bengal, and Assam. The Santhali language is a rich language and it is also one of the oldest languages. Its rank is 13 among the Indian languages. There are languages like Manipuri, Konkani, and Nepali which are spoken by less percentage of people. These languages were recognised and we all extended our support. But this language, which is a language of a tribal community, has not been recognised. For the last two years, we have been receiving the reply from the Ministry of Home Affairs that a High Powered Committee will be appointed. But as per the statement of the Minister of State for Home Affairs, this Committee is yet to be constituted.

I would like to know from the Minister when this Committee will be constituted and whether this High Powered Committee will consider such languages like Bhojpuri which is spoken by more than 25 crore people and Santhali language which is one of the oldest languages as also a language of a tribal community spoken in four to five States. I would also like to know whether this Committee will also consider including these two languages in the Eighth Schedule of the Constitution.

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोई लम्बा प्रश्न नहीं पूछना चाहता हूं। मैं इतना ही माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वह इस बारे में कोई निश्चित तिथि की घोाणा करेंगे कि कब तक हाई पावर्ड कमेटी बन जाएगी? बहुत अधिक संख्या में इतनी रिच भााा को जिसे लोग पढ़ते, बोलते और शिक्षा लेते हैं, उस भााा को आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने में जो स्थिति भोजपुरी की है, वही स्थिति मैथिली की है। क्या आप इस कमीशन में भोजपुरी इलाके के लोगों को सम्मिलित करेंगे या नहीं? क्या उसमें विद्वान लोगों को भी रखेंगे या नहीं जिससे वे वहां अपनी भााा की बात को रख सकें। इसी तरह से क्या मैथिली के इलाके से मैथिली वाले लोगों को सम्मिलित करेंगे?

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी इस पर बोलने के लिए एक मिनट का समय दिया जाए। â€¦ (व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: इसमें नियम आड़े आते हैं। Shri Ram Vilas Paswan, as a special case, I can allow one or two persons. Yes, you can have just a minute.

श्री प्रभुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, चन्द्रशेखर जी भोजपुरी इलाके के हैं। इनके भी इस बारे में विचार सुन लेने चाहिए। â€¦ (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: हाउस कंडक्ट करने के लिए आपने नियम बनाए हैं। मैं उन्हें तोड़ कैसे सकता हूं?

â€¦ (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : मैं भोजपुरी और मैथिली भााा का समर्थन करता हूं और मांग करता हूं कि सरकार एक निश्चित तिथि बताए। इसके साथ-साथ मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि हिन्दी जो भारत की राट्र भााा है, उसकी दुर्दशा कब तक होती रहेगी और अंग्रेजी कब तक चलती रहेगी?

श्री सालखन मुर्मू (मयूरभंज) : उपाध्यक्ष महोदय, भारतर्वा में बहुत से आदिवासी हैं लेकिन आज तक एक भी आदिवासी भााा को भारत के संविधान की आठवीं

अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। संथाली भाषा बहुत ज्यादा लगभग एक करोड़ लोग बोलते हैं। बंगाल, उडीसा. झारखंड, असम, त्रिपुरा और बिहार के लोग इस भाषा को बोलते हैं। इस भाषा से कम बोली जाने वाली - जैसे मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली और संस्कृत इत्यादि भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कर लिया है। पहले भारत सरकार ने बाकी भाषाओं को शामिल करने के मामले में कोई मानदंड नहीं रखा। जब हम लोगों की बारी आई तो कहा जाता है कि क्राइटीरिया फिक्स करना है और कमीशन बनाना है। तरह-तरह की बातें हो रही हैं। वह कमीशन भी दो साल से नहीं बना है। â€¦ (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयः स्पैसिफिक क्लैरिफिकेटरी सवाल पूछिए।

श्री सालखन मुर्मू :जब पहले कोई क्राइटीरिया नहीं था, अब क्राइटीरिया बनाने की बात क्यों आ रही है? हम उसे स्वीकार करते हैं लेकिन सरकार दो साल से के वल आश्वासन दे रही है। ऐसी हालात में जो आदिवासी भाषाओं का मामला है, जब तक इन भाषाओं से पठन-पाठन नहीं होगा तब तक लिटरेसी रेट भी नहीं बढ़ेगा क्योंकि हमारे क्षेत्र में छोटे बच्चों को चाहे बंगला हो, उड़िया हो. हिन्दी हो, उनको ये भाषाएं विदेशी भाषा की तरह पढ़ने-पढ़ाने में कठिन लगती हैं। इतनी बड़ी आबादी के होते हुए संविधान में प्रावधान है कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाए। â€¦ (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयः अगर आपको सवाल पूछना है तो एक ही सवाल पूछिए। आप भाषण मत करिए।

श्री सालखन मुर्मू :संथाली भाषा और अन्य भाषाएं जो आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए डिजर्व करती हैं, उसके बारे में सरकार क्या और कब करने वाली है?

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (CALCUTTA NORTH WEST): On 3rd December, I raised the issue under matters under Rule 377 with a request to the Union Government that the case of Maithili be considered and inducted in the Eighth Schedule of the Constitution. Dr. Sanjay Paswan was also present at that time. It is not only spoken in Bihar alone but spoken in other parts of the country also. In the city of Kolkata itself, alongwith other cities, Bhojpuri and Maithili speaking people are there in huge numbers. Shri Acharia has said that Santhali speaking people are very much there in West Bengal also.

Mithila is famous all over the country for its rich cultural heritage with glorious past and dynamic present. The hon. Minister has categorically mentioned that 18 languages are already recognised and 32 languages are pending uptill now. I want to know from the hon. Minister as to whether Maithili is there in the pending list or not.

I also want to know whether any time-bound programme is there before the High Powered Committee to make its announcement and take a decision regarding these 32 languages.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The High Powered Body is yet to be appointed. It is not yet appointed. In that case, how can it be a time-bound announcement?

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : It may be a time-bound one when it would be appointed. Then when the result would be announced?

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): I would only like to put a question to the hon. Minister.

As he is in the Home Ministry, is he aware that an agitation is going on in the northern part of Bengal by a Scheduled Caste community called Rajbongshi pertaining to the language? We are not clear whether it is a language or a dialect. Will the Minister enquire into the matter and see to it that their grievances are addressed and redressed appropriately? I am talking of Rajbongshi community of North Bengal.

SHRI VIJAYENDRA PAL SINGH BADNORE (BHILWARA): Sir, while supporting the cause of Bhojpuri language, I also want to add to it that, in the same way, Rajasthani language also traverses a lot of States and regions. Is it also being considered to be included under the Eighth Schedule?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now Calling Attention Motion is being converted into a full debate.

SHRI VIJAYENDRA PAL SINGH BADNORE : Rajasthani language is as important as Bhojpuri language. So, I want Rajasthani language and Bhojpuri language to be considered and included in the Eighth Schedule. Please give a specific reply regarding Bhojpuri and Rajasthani languages.

DR. JAYANT RONGPI (AUTONOMOUS DISTRICT ASSAM): After 55 years of Independence, not a single language spoken by the tribal communities in this country has been included in the Eighth Schedule of the Constitution. My point is, if you follow the same criteria in respect of the languages of the tribal communities and also the languages spoken by other communities, then no tribal language will ever be included in the Eighth Schedule. If you consider the population and if you would go in for the development of the languages, then you may find that tribal languages are not taught in the schools. Then how can they be developed? I want to know from the hon. Minister whether a different criteria would be followed while including the tribal languages in the Eighth Schedule.

SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN (SANGRUR): Sir, I want to be associated with the Motion moved by Shri Prabhunath Singh.

Most people do not know that the writings of Guru Gobind Singh, our Tenth Guru, were in Bhojpuri. We would like

this Motion to be adopted. We would also ask the Government to give us a Bhojpuri chair in the Punjabi University in Patiala so that we can understand the language. It is very important for our texts.

Secondly, I would like to ask the Government to give us a School of Advanced Studies for the study of Urdu and Persian in Malerkotla because that too is very necessary for understanding the Sikh scriptures.

श्री चन्द्रशेखर (बलिया, उ.प्र.) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी हमारे प्रभु नाथ सिंह जी बार-बार मुझ से कह रहे थे कि मैं भी इस विाय पर बोलूं। मुझे आश्चर्य है कि यह सरकार इस देश को कहां तक ले जाएगी। बात यहां तक आ पहुंची है कि 35-36 भााओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाए। हिन्दी को एक आल्टरनेटिव, एक वैकल्पिक भाा बनाने के लिए हमने वायदा किया था, वह वैकल्पिक भाा बनी नहीं और हम 35 भााओं को और जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।

महोदय, जगह-जगह से सवाल आ रहा है कि हमारी भाा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए। आदिवासियों की अलग भाा है, बंगालियों की अलग भाा है, उत्तर प्रदेश के भोजपुरी इलाके की अलग भाा है। मैं भी भोजपुरी बोलता हूं और यहां जो भोजपुरी बोलने वाले हैं उन सब से अच्छी भोजपुरी बोलता हूं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि इस तरह की मांगों को संसद में उठाना और सरकार का इस तरह से आश्वासन देना ठीक नहीं है। क्योंकि आश्वासन देने में यह सरकार तेज है इसलिए इस प्रकार की मांग की जाती है।

महोदय, मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि बड़ी कृपा होगी अगर मंत्री महोदय आश्वासन देने के बजाय हिन्दी को विकसित करने का काम करें और जो लोग इन भााओं और बोलियों को विकसित करना चाहते हैं, वे इनका विकास करें। प्रभु नाथ सिंह जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वे भोजपुरी को विकसित करने काम करते रहें, लेकिन उसे संविधान के आठवें शेड्यूल में लाने की कोशिश न करें।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Minister, before your reply, let me make the record straight. In the Calling Attention, only one hon. Member is always allowed. The hon. Speaker has, particularly, allowed both the two hon. Members − Shri Basu Deb Acharia and Shri Raghunath Jha - as an exception. I have extended that exception to all the other hon. Members. This will not become a precedent in future.

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर सर, जितने सवाल यहां उठाए गए हैं और चन्द्र शेखर जी ने जो बात कही है, दोनों को यदि मिला दिया जाए तो यही रीजन है, यही कारण है कि कांस्टूट्यूशन की हाई पावर्ड कमेटी की ऑफीसर्स कमेटी ने एक बात रिक्मेंड की कि वन ऑफीशियल लैंग्वेज स्टेट में अगर कोई आफीशियल लैग्वेज है, तो उसे एट्थ शेड्यूल में ले लिया जाए। इसी तरह कहा गया कि It should be spoken by a substantial proportion of the population etc., लेकिन वे इस बात के पक्ष में थे कि जब तक एकेडीमीशियन, लीगल एक्सपर्ट्स और उन लैंग्वेजेज के एक्सपर्ट्स की जब तक राय न ली जाए और एक हाइ पावर्ड कमेटी न हो, तो एक आब्जैक्टिव क्राइटीरिया इवॉल्व करने के लिए बड़ी दुश्वारी होगी, दिक्कतें होंगी और उसमें दिक्कतें आएंगी। â€¦ (व्यवधान)

श्री रघुनाथ झा : उपाध्यक्ष महोदय, 100 करोड़ लोगों में से यदि 25 करोड़ लोग इस भाा को बोलते हैं तो और कैसा क्राइटीरिया चाहिए? â€¦ (व्यवधान)

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : I have said that it is under the active consideration of the Government and it is going to be finalised very soon. That is what I can assure you....(*Interruptions*) Any time-limit cannot be given. But, all the same, it is under the active consideration and in the final stages. Very soon, the High-Powered Committee would be formed.

ªह मामला सिर्फ संथाली का नहीं है, यह मामला सिर्फ भोजपुरी का नहीं है, यह मामला सिर्फ राजस्थानी का नहीं है, यह मामला सिर्फ डोगरी का नहीं है, जैसा मैंने पहले कहा तकरीबन 32 भााओं को कांस्टीट्यूशन के एट्थ शेड्यूल में इन्क्लूड करने की मांग डिफरेंट प्लेसेस से आई है और इसीलिए यह क्राइटीरिया, ऑब्जैक्टिव क्राइटीरिया बनाने की बात कही गई है।

महोदय, सरकार ने तो इस मामले को रिव्यू कमीशन के पास भी भेजा था कि वह इस मामले को देख ले, लेकिन उन्होंने भी इसके बारे में कोई रिक्मेंडेशन नहीं की और सिर्फ इतना कहा कि सब्स्टेंश्यल प्रपोर्शन आफ पापुलेशन का सवाल है, वहां इस टर्म को 10 प्रतिशत कर दिया जाए कि 10 प्रतिशत लोग हों, लेकिन जैसा प्रभु नाथ सिंह जी ने कहा कि बहुत अच्छा लिटरेचर भी है, यूनीवर्सिटी में भोजपुरी पढ़ाई जा रही है, बहुत सारे हायर सैकेंड्री स्कूल में पढ़ाई जा रही है, लिटरेचल अवेलेबल है। इसी प्रकार से राजस्थानी में, डोगरी में भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। इसलिए मैं आपके माध्यम से डिप्टी स्पीकर सर, इस हाउस को यह विश्वास जरूर दिला सकता हूं कि जो हाई पॉवर्ड कमेटी बनाने की स्टेज है, वह स्टेज एक्टिव कंसीडरेशन में है, फायनल स्टेजेज में है और ज्यों ही वह हाई पावर्ड कमेटी बनती है, यह उनके ऊपर छोड़ा जाएगा कि वे कौन-कौन से एकेडीमीशियन को इसमें शामिल करेंगे। â€¦ (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : यह कमेटी कब तक बनेगी ? â€¦ (व्यवधान)

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : वह कमेटी जल्दी ही बनेगी, जैसा मैंने कहा कि वह फाइनल स्टेज में है। वह इन सब बातों को देखेगी, चाहे वह ट्राइबल हों, â€¦ (व्यवधान)

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : क्या उन 32 में मैथिली भी है ? â€¦ (व्यवधान)

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : इन 32 में भोजपुरी भी है, मैथिली भी है, संथाली भी है, राजस्थानी भी है और डोगरी भी है।

हमारे ऑनरेबल मैम्बर श्री रौंगपी जी ने जिक्र किया है कि ट्रायबल लैंग्वेजेज भी शामिल हों। यह हाइ पावर्ड कमेटी पर डिपेंड करेगा कि वह क्या क्राइटीरिया-रूट स्थापित करती है। इसमें मुख्य चीज यह है कि जो क्राइटीरिया बनाने वाले हैं, वे क्या क्राइटीरिया बनाएंगे, उस क्राइटीरिया के हिसाब से जो-जो लैंग्वेजेज क्वालीफाई करेंगी, उसी हिसाब से उन्हें संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए कंसीडर किया जाएगा।

मैं हाउस को इतना विश्वास जरूर दिलाता हूं कि बहुत देर से हाई पावर्ड कमेटी बनाने की बात चल रही है और अब जल्दी ही हाई पावर्ड कमेटी बना दी जाएगी।